



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1129) पटना, बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर 2026

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2026

अ०सं० वि० प्रा० (II) नियुक्ति-19/2023-5116—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या-43/2020 के आलोक में आयोग के पत्रांक-27 दिनांक-21.08.2023 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित अभ्यर्थी को वेतनमान लेवल-9ए (प्रवेश वेतन-56,100/-रु०) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-9 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र० | अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं स्थायी पता                                                                                                                                    | जन्म तिथि    | आरक्षण कोटि | अनुशंसित कोटि | संयुक्त मेधा क्रमांक | गृह जिला | फोटो                                                                                  | पदस्थापित पोलिटेकनिक संस्थान का नाम |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                              | 3            | 4           | 5             | 6                    | 7        | 8                                                                                     | 9                                   |
| 1.   | विकास कुमार,<br>(VIKASH KUMAR)<br>(सौल नं० 433041),<br>पिता- विनय कुमार,<br>VILL- MARNPUR,<br>POST- LAXMAN BIGHA,<br>PS- PARAIYA,<br>DIST- GAYA,<br>STATE-BIHAR,<br>PIN-824209 | 01.03.<br>88 | EBC         | EBC           | 82                   | गया      |  | राजकीय पोलिटेकनिक, जहानाबाद         |

2. इनकी यह नियुक्ति सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।
3. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
4. नवनियुक्त व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग), अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने अथवा साक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि तक योगदान अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं देने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने के संबंध में नियमानुसार निर्णय ले लिया जाएगा।
5. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमानुसार होगी।
6. उम्मीदवार द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तथा पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
7. नवनियुक्त व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग), जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/त्यागपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इनका प्रभार संबंधित विभाग/संस्थान का प्रतिवेदन विरमित आदेश/त्यागपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी, इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
8. उम्मीदवार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
9. बिहार सेवा संहिता के नियम-52 के अन्तर्गत उम्मीदवार, जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
11. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 10396/2021 (मुक्ति नारायण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित होने वाले न्यायादेश के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।
12. उम्मीदवार को योगदान हेतु पदस्थापित संस्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
13. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
कुमार सिद्धार्थ,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1129-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>